

20/11/15

बसुवा (अजमेर)

वकील वादी उपस्थित। उपस्थित होकर निवेदन किया
की अब हम धार्मिक पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इस
धार्मिक पत्र इसी स्तर पर कार्यवाही शेष की जाये धार्मिक पत्र
को अवलोकन किया धार्मिक पत्र प्रतिवादीयों का कोई कांफेस
करेम नहीं है। अतः वादी वकील द्वारा धार्मिक पत्र में कार्यवाही
नहीं चलाने के धार्मिक पत्र विद्वां करने की अनुमति दी जाती है।
पत्रावली फॉर्मल शुभार होकर नगवर के काग हो बाद दफतर्दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी
बसुवा (अजमेर)

Nabha
[Signature]

